

PRISM
पेसिप्लस
कॉल
दूर की सोच

याना गाजीपुर

जनपद - फतेहपुर

मो. 9454403339

201

PRISM
पेसिप्लस
कॉल
दूर की सोच



प्रेस नोट - थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त आला कत्ल के साथ गिरफ्तार

दिनांक 07.07.2021 को थाना गाजीपुर में वादी श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चकमीरपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर द्वारा एक लिखित तहरीर दिया कि मेरे भतीजे अभिषेक सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह उर्फ बबलू सिंह उम्र करीब 22 वर्ष नि० ग्राम चकमीरपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर की धारदार हथियार से किसी व्यक्ति द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं०- 142/2021 धारा 147/148/364/302 भादवि पंजीकृत कर मृतक के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही करके पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी फतेहपुर भेजा गया तत्पश्चात घटना में नामजद अभियुक्तगण 1.पिण्टू यादव उर्फ विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामकिशोर 2. कुलदीप यादव उर्फ सोनू पुत्र रामराज यादव 3. रामकिशोर यादव पुत्र स्व० रामपाल 4.विक्रम सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह नि०गण ग्राम चकमीरपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर 5. मुन्ना यादव पुत्र स्व० सूरजभान नि० ग्राम चकस्करन थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राप्त आदेश निर्देशों के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी जाफरगंज महोदय के पर्यवेक्षण में मुझ थानाध्यक्ष द्वारा मय चौकी प्रभारी शाह मय फोर्स के नामजद अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर तलाश व दबिश दी जा रही थी जिस पर कल दिनांक 11.07.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर मुझ थानाध्यक्ष मय हमराही फोर्स व चौकी प्रभारी शाह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त पिण्टू यादव उर्फ विरेन्द्र यादव पुत्र रामकिशोर नि० ग्राम चक मीरपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिषेक सिंह उर्फ सोनू पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि० ग्राम चकमीरपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर की हत्या किया जाना स्वीकार किया व अभियुक्त द्वारा हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी मय बेंत के व एक अदद मोटर साइकिल प्लेटिना UP71P0680 व कपड़े टी-शर्ट व जीन्स पैण्ट बरामद कराया गया । अभियुक्त से मृतक सोनू उर्फ अभिषेक को मारने का कारण पूछा गया तो बताया कि गांव के आशीष सिंह का तिलक था तो सोनू ने मुझे मोबाइल के चोरी के इल्जाम में फंसा दिया था व गांव के प्रधान पुत्तन सिंह ने मुझे मारा था व मुआवजा के तौर पर मैंने सोनू को 13000 रुपये दिये थे जिसके कारण गांव में मेरी बहुत बदनामी हुयी थी । ये सब बातें होने के कारण अन्दर ही अन्दर मैं सोनू से बदला लेने की फिराक में रहता था व मौका मिलते ही मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.पिण्टू यादव उर्फ विरेन्द्र यादव पुत्र रामकिशोर नि० ग्राम चक मीरपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर

बरामद आला कत्ल-

- 1.एक अदद कुल्हाड़ी मय बेंत ।
- 2.एक अदद मोटर साइकिल प्लेटिना UP71P0680
- 3.कपड़े टी-शर्ट व जीन्स पेण्ट

गिरफ्तारी टीम -

1. नीरज कुमार यादव थानाध्यक्ष गाजीपुर